

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2009


विषय:-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद का कार्यभार देखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन जनपदों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तैनात हैं, परन्तु वहां पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का पद रिक्त है, उस जनपद में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का कार्य जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा देखा जायेगा तथा जिन जनपदों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पद रिक्त है, परन्तु वहां पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तैनात हैं, उस जनपद में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कार्य देखा जायेगा। जिन जनपदों में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दोनों तैनात हैं, वे अपने-अपने विभागों का कार्य सम्पादित करेंगे।

2. यह आदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या- (1) / 52-1-09 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को समाज कल्याण आयुक्त महोदय से हुये विचार-विमर्श के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(बी०एम० मीना)
प्रमुख सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, 3050
620, इन्दिरा भवन-लखनऊ।

Go/b

पत्रांक: 22/8 / 3050 क० नि० / स्था० / 09

दिनांक 29 सितम्बर 2009

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र० ।
- 4- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, उ०प्र०।
- 5- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
- 6- गार्ड पत्रावली हेतु ।

३१/११/०९
॥ इफ्तेखार हुसैन बेग ॥
उपनिदेशक
कृते निदेशक।